

July 27, 2024

The Manager, Department of Corporate Services BSE Limited

Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 BSE Scrip code – [532541] Equity ISIN INE591G01017 Non-Convertible Bond ISIN INE591G08012 The General Manager,
Department of Corporate Services
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai – 400 051
NSE Symbol – [COFORGE]

<u>Subject: Newspaper publication – Transfer of Equity Shares of the Company to Investor</u> Education Protection Fund

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Advertisement of reminder for shareholder for transfer of unpaid/unclaimed dividend and equity shares to IEPF" in the following newspapers:

- a) Business Standard (Hindi)
- b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take the same into record.

Thanking you,

Yours truly,

For Coforge Limited

Barkha Sharma Company Secretary ACS 24060

Encl: as above

Coforge Limited





UP ABOVE THE WORLD SO HIGH

Have stars gone out of reach for filmmakers? Does 12th Fail show the path to success?

New Delhi, 26 July

shok Kumar is widely recognised as Hindi cinema's first superstar, a status he gained with Kismet (1943), which earned a reported ₹1.1 crore to be labelled the first Hindi blockbuster. Before he became an actor, Kumar was a lab technician at Bombay Talkies, and continued to be on a monthly salary as an actor. Contrast that to what Karan Johar said on Faye D'Souza's

YouTube channel on July 5. 'There are 10 viable actors in Hindi cinema. They are all asking for the sun and moon and earth and you are paying them. Those movie stars are asking for ₹35 crore and opening to ₹3.5 crore. How is that math working?" Johar said.

This statement resonated far and wide, because Johar's Dharma Productions is one of the biggest production houses. And it came at a time when several star vehicles have not done roaring businesses, though they were made at humongous budgets in which the biggest cost head was the leading man's fee. Hindi film industry's

insiders say Johar is big

enough to state this boldly. Several filmmakers share his view but are reluctant to speak out. Is the dependence on stars making the business model of Hindi movies unviable?

Long Covid

"There is nothing wrong with the business model. There is a problem with how people value talent. When an actor or director is paid more than the value they add to a film, the model breaks," says Chaitanya Chinchlikar, Vice-President at Whistling Woods International, a well-regarded school in Mumbai for film and other creative arts. "Stars who cannot guarantee a minimum ₹100 crore opening must not be paid ₹35 crore. My question is, why are they being paid ₹35 crore?"

The question becomes more pertinent at a time when some non-star vehicles are raking it in, most notably 12th Fail, produced and directed by Vidhu Vinod Chopra.

As film budgets have expanded in the modern era, their biggest cost head has ballooned disproportionately. One male star is believed to have made ₹130 crore from a single movie. That was his last hit, in 2021. Since then, he has given a

string of flops but continues to be paid high fees.

In contrast, there is a leading actor who charges nothing upfront. He takes a cut in the profits once the entire cost of the film - including all salaries and marketing and promotion costs - have been recovered. He takes a lion's share of the profits, three-fourths or so, but he bears the risk as well: He gets nothing if the film makes a loss. Another leading actor produces all his movies now.

There are just three or four who bear the risk. Most of the others want their money upfront. This money, which would be in lakhs in the 1990s, is now several times more. These fees were sustainable till

about two years ago. Starting 2020, when Covid enveloped the world in a pall of gloom, streaming platforms such as Netflix and Amazon Prime Video splurged on content. They acquired rights to movies for large sums, and commissioned original content for budgets just as large, if not more.



"It is workable, but very difficult. The solution does not lie in revenues, the solution lies in cost," says Diptakirti Chaudhuri, who was business head at Vinod Chopra Films till April

As people stayed home, content consumption at home shot through the roof and streaming platforms wanted to cash in.

Now audiences' appetite is much less. What's more, viewers have become choosy. Some of the films flopping today would have done well during the pandemic. But not anymore.

Naturally, streaming platforms decided to tighten their purse strings. Industry insiders say they now pay no more than ₹35 to 40 crore for a film for which they would have paid ₹70 crore during the pandemic time.

Stars became unaffordable the moment the pandemic ended.

Deep down, everyone knows the money they are asking for is absurd. To make money, the best case scenario must happen. That is not how businesses are run," says Anish Chandy, Founder of Labyrinth Literary Agency, which has so far been involved in more than 110 deals to convert books into movies and web series.

12th Fail's road to success

Karan Johar has

ignited a debate

over star fees

as a cost head

budgets

in Hindi movie

Amid this, 12th Fail stands out as a huge success without stars. How replicable is this model?

"It is workable, but very difficult," says Diptakirti Chaudhuri, who was Business Head at Vinod Chopra Films till April this year. "The solution does not lie in the revenues, the solution lies in the cost. Mr Vidhu Vinod Chopra is a creative powerhouse, but he is also a canny producer."

According to Chaudhuri, Chopra, as the producer, puts his money where he thinks it will make a difference to the film. He is also frugal in where he shoots and how much he spends. Even his largebudget films are, compared to other star vehicles, made on reasonable budgets. Chopra also had the unwavering conviction that

12th Fail would work in theatres. Going against the custom, he released it without a deal with a streaming platform. Tt was Mr Chopra's belief in his product. He had the conviction

that his film will do better than a star vehicle," says Chaudhuri, who now works as Chief Marketing Officer with Casagrand Builder in Bengaluru.

Chandy, however, points out that there will be more movies like 12th Fail. Already, Munjya is one of the hits of 2024. It 'stars' Sharvari Wagh and Abhay Verma. Have you



Read, Office: IFCI Tower, 61 Nehru Place New Delhi-110019 Tel: 011-41732000 Website: www.ifciltd.com CIN: L74899DL1993GOI053677

CORRIGENDUM TO SALE NOTICE eference to sale notice dated 26/07/2024 published on 26/07/2024 regardin the property situated at Thana Bakhtiyarpur and Thana Fatuha, Patna published by IFCI Limited. It is hereby informed that the term "physica ossession" mentioned in the sale notice is modified as "symbolic possession Date: 27/07/2024 Authorised Office

Coforge Coforge Limited

CIN: L72100DL1992PLC048753

Regd Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji,

New Delhi-110019.

Phone: +91 (11) 41029297.

Email: investors@coforge.com, Website: https://www.coforge.com

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education Protection Fund

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of the

Section 124 regarding Unpaid Dividend Account & section 125 of the Companies Act, 2013

("Act") regarding Investor Education And Protection Fund (IEPF) read with Investor

Education Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules

2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs including amendment

Pursuant to the Rules, unpaid / unclaimed dividends are required to be transferred by the

Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Centra

Further, Equity shares of the Company, in respect of which the dividend has remain unpaid

unclaimed for seven (7) consecutive years or more are required to be transferred by the

The Company has already sent the individual communication to all concerned

shareholders at their registered address providing them the details of their unclaimed dividend and giving them the opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by

Monday, September 30, 2024, to avoid transfer of their shares to the Demat account of

The details of such shareholders, unclaimed dividend and shares liable for transfer to IEPF

Suspense Account are available on Company's website www.coforge.com for information

The concerned shareholders may visit our website to verify the details of the

unclaimed/unpaid dividend and shares liable to be transferred to IEPF and approach the

Investor Service Department of the Company with necessary documents supporting their

dividend claim failing receipt of communication by Monday, September 30, 2024, the

Company will proceed to transfer the dividend and for shares, by the due date specified by

the Rules or such further extended date as may be applicable, for necessary compliance

I. For shares held in physical form: New share certificate(s) will be issued and

transferred subsequently to the Demat account of the IEPF Authority without any

further notice. Further upon issue of such new share certificate(s) the original share

certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled

Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s)

II. For shares held in electronic mode: the shares will be directly transferred to the

The members may further note that the details made available by the Company on its

website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of duplicate share

certificate(s) by the Company for transfer of shares to IEPF. Please note that no claim

shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares

The Unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF, may be claimed b

the concerned shareholders from the IEPF Authority by following the procedure prescribed

under the aforementioned IEPF Rules, available on their website https://www.iepf.gov.in

For any queries on the above matter, the members are requested to contact the Investors Service Department of the Company at 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg Kalkaji, New Delhi – 1100019, Tel no.: 011-41029297; Email: investors@coforge.com.

Company to the Investor Education and Protection Fund ('IEPE') Suspense Account

made thereunder and other applicable provisions, if any.

Government after the completion of seven years

& necessary action by the shareholders.

In this connection please note that:

and deemed to be bad delivery.

transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

without any further notice

LLOYDS METALS

LLOYDS METALS AND ENERGY LIMITED

District Chandrapur (MS). Tel: 07172-285398, 07172-285103 Corporate Office : A2, 2nd Floor Madhu Estate, Pandurang Marg, Lower Pare Mumbai-400013. Tel.: +91-22-62918111 www.lloyds.in | CIN: L40300MH1977PLC019594 | investor@lloyds.ir

NOTICE OF THE 47TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

OTICE is hereby given that the 47th Annual General Meeting ("AGM") of Lloyds Metals ar Energy Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 20" August, 2024 at 11:30 a.m. (IST) hrough Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice calling the AGM. In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the MCA General Circular No. 14/2020 dated 08 ** April 2020, MCA General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, MCA General circular No. 20. 2020 dated 05th May, 2020, MCA General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, MCA General Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and MCA General Circular No. 11/2022, SEBI ular dated 12th May 2020, SEBI Circular dated 15th January 2021 issued by the Ministry Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI /HO/CFD/CMD1/CIR/P1/2020/79 dated 12th May, 2020. Circular No. SEBI /HO/CFD/CMD2/CIR/P1/2022/62 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January, 2023 issued by the Securities an Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred as "relevant circulars"), and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("SEBI LODR"), the AGM of the Company, is being conducted through VC/OAVM facility, without physical presence of the Members of the Company.

In the compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM along-with the Annual Repor for F.Y. 2023-2024 has been sent only through electronic mode to all the Members of the Company whose email addresses registered with the Depository Participant(s). The aforesaid document are also available on the Company's website at www.lloyds.in, websites of the Stock Exchanges e., Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited a www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and website of the NSDL a ww.evoting.nsdl.com

n compliance with the Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Manage and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI ODR, Members holding shares in physical and dematerialized form, as on the cut-off date Tuesday, 13th August, 2024, may cast their votes electronically on the business as set forth in he Notice through the electronic voting system of NSDL ("the remote e-voting"). All the Member reby informed that:

- The Business as set forth in the Notice of the AGM will be transacted through voting by electronic means only;
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through voting system at the AGM shall be Tuesday, 13th August, 2024;
- The remote e-voting shall commence on Friday, 16th August, 2024 at 09:00 A.M IST; The remote e-voting shall end on Monday, 19th August, 2024 at 05:00 P.M IST;
- Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail ID's and any person who acquires the shares of the Company and becomes a membe post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e., Tuesday 13th August, 2024 may obtain the log-in ID and password by sending a request a evoting@nsdl.co.in However, if the person is already registered with NSDL for e-voting then the existing USER ID and password can be used for casting their vote;
- a) The remote e-voting shall be disabled by NSDL beyond 05:00 P.M. (IST) on Monday, 19th August, 2024 and once the votes on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be able to change it subsequently;
- b) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote on suc
- c) The facility for e-voting will also be made available during the AGM, and those member present in the AGM through VC/OAVM facility, who have not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible vot through the e-voting system at the AGM:
- d) Only persons whose name are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM; and e) The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in
- the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, 13th August, 2024 being the cut-off date for this purpose
- Details of the process/ method of casting votes by Members are included in the AGM Notice iii. Members holding shares in physical mode are requested to register/update their email ID's with the Company and also update your Bank account mandate for receipt of Dividend i prescribed Form ISR-1 with the Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company i.e., Bigshare Services Private Limited. The Company has sent letters for furnishing the details as required under SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021. Norms for updation are also available at the website of the Company at http://www.lloyds.in/ Members holding shares in demat mode may register their email ID's/ update Bank Account mandate by contacting their respective Depository Participant ("DP") Members can send their request by providing their folio nos, in case of shares held in Physica Mode (16 digit DPID + CLID in case of NSDL or 16 digit beneficiary ID in case of CDSL), for receipt for AGM Notice and Annual Report for FY 2023-2024 in electronic mode at email ID
- In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means please contact Ms. Pallavi Mhatre, NSDL, email ID: evoting@nsdl.com or call on toll free no.: 18001020990 and 1800224430 or may write to the Company Secretary at the email ID investor@lloyds.in

For Lloyds Metals and Energy Limite Trushali Sha

Company Secretary



July 31 Sofitel BKC, Mumbai



Fireside Chat Decoding Budget '25

T V Somanathan

Finance Secretary & Secretary (Expenditure) Govt of India

A K Bhattacharya **Editorial Director Business Standard**

Session 1 **Budget '25: Economists' Perspective**

Sajjid Chinoy Chief India Economist JP Morgan

Samiran Chakraborty MD & Chief Economist, India Citigroup

Pranjul Bhandari MD & Chief India Economist ASEAN Economist, HSBC

Indranil Pan Chief Economist YES Bank

Session 2 **Budget '25: Catching The Market Pulse**

Raamdeo Agrawal Chairman

Motilal Oswal Group

Nilesh Shah

Kotak Mahindra AMC Ltd

Sessions moderated by A K Bhattacharya

Prashant Jain

In conversation with

Founder & Chief Investment Officer 3P Investment Managers

Andrew Holland CEO

Avendus

Entry by invitation only | Register at bit.ly/BudgetwithBSInvite



Co-Sponsor

Webcast Partner









Dated: July 26, 2024

Barkha Sharma Company Secretar ÁCS: 24060

For and on behalf of Coforge Limited

Members may note that:

Dated: 26.07.2024

मांग सूचना

रिपोर्ट 05.09.2024



P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.
PIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in

Ref.No.: PUR/SSC/Tender/2024-25/547

Short Term e-Tender Notice

Online e-tenders are invited from Original manufacturers (as per details given in tender documents) for supply of Boiler Chemicals to various Sugar Factories of U. P. State Sugar Corporation Ltd.. The etender documents with detailed specifications, make, terms and conditions etc., can be downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in & Sugar Corporation's website: www.upsugcorp.in from 27.07.2024.

The Managing Director, Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Corporation will be final & binding.

MANAGING DIRECTOR

Coforge कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100DL1992PLC048753 कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली — 110019 फोन: +91 (11) 41029297.

ई-मेल: investors@coforge.com, वेबसाइट: https://www.coforge.com सचना

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में अंतरण एतद्द्वारा कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की, अदत्त लाभांश खाते के संबंध में धारा 124 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निर्ध (आईईपीएफ) के संबंध में, धारा 125 के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निर्ध . प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 ("नियमावली") और उनके

तहत किए गए संशोधनों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई, के अनुसरण में सूचना दी जाती

कम्पनी द्वारा 'उक्त नियमों के अनसरण में अदत्त / अदावित लाभांश राशि सात वर्ष की अविध पूर्ण होने के पश्चात, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निध (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी के इक्विटी शेयर्स, जिनके संबंध में लाभांश सात (7) लगातार वर्षे अथवा अधिक से अदत्त / अदावित है, कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) उचिन्त खाते में अंतरित किए जाने अपेक्षित हैं।

कम्पनी सभी संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर पृथक सूचना पहले की प्रेषित क चकी है. जिसमें उनके अदावित लाभांश का विवरण दिया गया है तथा उनको उक्त अदावित लाभांश हेतु अपना दावा अधिकतम **सोमवार, 30 सितम्बर, 2024** तक प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है, ताकि उनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने से बचा जा सके।

ऐसे शेयरधारकों, अदावित लाभांश और आईईपीएफ उचिन्त खाते में अंतरित किए जाने के भागी शेयर्स का विवरण कम्पनी की वेबसाइट <u>www.coforge.com</u> पर शेयरधारकों की सूचना और उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध है।

संबंधित शेयरधारक हमारी वेबसाइट देख सकते हैं और अदावित∕अदत्त लाभांश तथ आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के भागी शेयर्स के विवरण की जांच कर सकते हैं और अपने लाभांश दावे के आवश्यक समर्थन दस्तावेजों के साथ कम्पनी के निवेशक सेवा विभाग से सम्पक् कर सकते हैं. इस बाबत **सोमवार. 30 सितम्बर. 2024** तक कोई सचना प्राप्त नहीं होने की रिथिति में कम्पनी आवश्यक अनुपालन के लिए लाभांश तथा / अथवा शेयर्स अंतरित करने की कार्यवाही, नियमानुसार विनिर्दिष्ट तिथि अथवा लागू अनुसार आगे बढ़ाई गई तिथि तक, आगे बढ़ाएगी। इस संबंध में कृपया नोट करें कि :

1. भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए : नए शेयर सर्टिफिकेट (सर्टिफिकेट्स) जारी किए जाएंगे और तदनुवर्ती आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में आगे और कोई सूचना दिए बिना अंतरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नए शेयर सर्टिफिकेट (सर्टिफिकेट्स) जारी होने के बाद आपके नाम में पंजीकृत मूल शेयर सर्टिफिकेट्स स्वतः निरस्त और दोषयुक्त सिपर्दगी माने जाएंगे।

2. इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए : शेयर्स आगे कोई सूचना दिए बिना डिपॉजिटर् पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) की सहायता से सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते अंतरित कर दिए जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक आगे नोट करें कि कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गय विवरण, कम्पनी द्वारा आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु डुप्लीकेट शेय सर्टिफिकेट्स जारी करने के संबंध में यथेष्ट सूचना मानी जाएगी। कृपया नोट करें कि लाभांश राशि की मांग नहीं किए जाने तथा उक्त नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयर्स के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दाव मान्य नहीं होगा।

अदावित लाभांश राशि और आईईपीएफ को अंतरित शेयर्स, संबंधित शेयरधारकों द्वार आईईपीएफ प्राधिकरण से उनकी वेबसाइट <u>https://www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध उपरोक्त आईईपीएफ नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वापस मांगे जा सकते हैं उपरोक्त के संबंध में किसी पूछताछ हेतु, सदस्यों से कम्पनी के निवेशक सेवा विभाग, 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली—110019 से फोन : 011 —ू 41029297, ई—मेल : <u>investors@coforge.com</u> पर सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

कते एवं हित कोफोर्ज लिमिटेड बरखा शर्म तिथि: 26 जुलाई, 2024 कम्पनी सचिव ACS: 24060

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ांजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 SHRIR 🖍 🦍 🧻 शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 245 एवं 246, दूसरा तल, ओमकारम टॉवर, हनुमा नगर-डी, अमरपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021 वेबसाइट : https://www.shriramhousing.ir

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सचनाओं में उल्लिखित राशि का पनर्भगतान करने के लिए माँग सचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पनर्भगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएचएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 24 **जुलाई**, 2024 को **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

कर्जदार का नाम एवं पता

ऋण संख्या SBTHJIPR0001071, STUHJIPR0001072 तथा SILHJIPR0001073

1. श्री असलम खान पुत्र इस्लामुद्दीन (कर्जदार)

20. पंजाबी कॉलोनी. चंगी नाका. भ्रमपरी. जयपर-302002 2. श्रीमती बिलिकस बानो पत्नी मोहम्मद असलम बैराठी (सह-कर्जदार)

२००. मोहन बाडी. सरज पोल. गल्ला गेट. अनाज मंडी. जयपर ३०२००३

3. श्री रियाजुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन (सह-कर्जदार) 200, मोहन बाड़ी, सूरज पोल, गलता गेट, अनाज मंडी, जयपुर 302003

4. श्री मोहम्मद अकबर पत्र इस्लामद्दीन (सह-कर्जदार) 200, मोहन बारी, सूरज पोल, गलता गेट, अनाज मंडी, जयपुर 302003

5. श्री मोहम्मद आकिब बैराठी पुत्र मोहम्मद असलम बैराठी (सह-कर्जदार) 200. मोहन बाडी. सरज पोल. गलता गेट. अनाज मंडी. जयपर 302003

6. श्री मोहम्मद अरबाज खान पुत्र असलम खान (सह-कर्जदार) 20, पंजाबी कॉलोनी, चुंगी नाका, भ्रमपुरी, जयपुर-302002

7. मैसर्स इंडियन स्टील ट्यूब (प्रॉपर्टियर शिप फार्म) (सह-कर्जदार) दुकान नं. 2, सामने रोड नं. 3, वी.के.आई एरिया, जयपुर (राज.) 302013 मैसर्स राजस्थान स्टील टयब (प्रॉपराइटर शिप फर्म) (सह-कर्जदार) दुकान नं. 2, सामने रोड नं. 3, वी.के.आई एरिया, जयपुर (राज.) 302013

सांकेतिक कब्जे की तिथि-24-07-2024 एनपीए तिथि-7-5-2024

मांग सूचना की तिथि तथा देय राशि

दिनांक: 15-05-2024

21, दक्षिण- प्लॉट नंबर-19

ऋण खाता संख्या SBTHJIPR0001071 के संदर्भ में 07-05-2024 को रु.5799752/- (सतावन लाख निन्यानबे हजार सात सौ बावन मात्र) और ऋण खाता संख्या STUHJIPR0001072 के संदर्भ में 07-05-2024 को रु 895937/- (आठ लाख पिचानबे हजार नौ सौ सैंतीस मात्र) और ऋण खाता संख्या SILHJIPR0001073 के संदर्भ में 07-05-2024 को रु. 2662140/- (छब्बीस लाख बासठ हजार एक सौ चालीस मात्र) जिसमें पहले बताए गए ब्याज और आकस्मिक व्यय. लागत आदि शामिल हैं।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नंबर 20, पंजाबी कॉलोनी, दिल्ली बायपास रोड, चुंगी नाका, जयपुर (राज.) 302002 का समस्त भाग, संपत्ति का क्षेत्रफल-274.72 वर्ग गज संपत्ति की सीमा-पूर्व- अन्य संपत्ति, पश्चिम- रोड 30 फीट, उत्तर- प्लॉट नंबर-

एतद्वारा यह सूचना व्यापक रूप से जनसामान्य को चेतावनी भी है कि एसएचएफएल के अधिकृत पाधिकारी उपर्यक्त अचल सम्पत्तियों के विधिक सांकेतिक कब्जेदार हैं और कर्जदार अथवा कोई भी व्यक्ति इस सुचना में सन्दर्भित उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों में किसी भी अंश को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य संव्यवहार/हस्तान्तरण द्वारा इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात एसएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

ह./-अधिकत प्राधिकारी स्थान : जयपर तिथि : 24.07.2024 श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

IndusInd Bank 🕝



फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एण्ड रीकंस्ट्रक्शन ग्रुप 11वीं मंजिल. हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स भीकाजी कामा प्लेस. नई दिल्ली-11006 न्यू टावर,

'अधिनियम') के तहत इंडसइंड बैंक के पास बंधक अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना। ामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ऑ)/गारंटर(रों) को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने भावी ब्या गागत तथा व्ययों आदि सहित कर्जदारों/गारंटरों/बंधककर्ताओं से यहां नीचे उल्लिखित ब्याज सहित बैंक के बकाया की वसली के लिए इंडसइंड बैंक लिमिटेड. प्रतिभत लेनदार के प्राधिक र्राधकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सूचना के माध्यम से मांग के अनुसार नीचे उल्लिखित सम्पत्तियों का सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निम्निलिखित ऋण खां i 'जहां है जैसे है, जो है यही है, जो कुछ भी है वहीं है' आधार पर बेचने के अधिकार सहित भौतिक कब्जा कर लिया है और जैसा कि बकायों के पुनर्भुगतान में विफल रहने पर उक्त म्पत्ति(यों) की बिक्री द्वारा बैंक के बकायों की वसूली के उद्देश्य से उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग गं धोहस्तारी वसूली का प्रस्ताव करता है। निम्नलिखित सम्पत्तियों की बिक्री वेब पोर्टल : https://www.bankeauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जायेगी।

तिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम

जमानितयों का नाम	
कय्यूम खान, श्रीमती कादर जहां खान	तिथि 30.06.2022 तक रु. 47,74,681.75/- और उस पर 01.07.2022 से भावी ब्याज तथा उस पर होने वाली कोई भी लागत, शुल्क, खर्च। मांग सूचना दिनांक: 18.08.2022

सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की	संविदा जमा
	ईएमडी	तिथि एवं समय	करने की
	संविदा वृद्धि राशि		अंतिम तिथि
मार्ट नंबर बी03/33 (पुराना मार्ट नंबर एफ-43) का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 25 और 27, नॉलेज	रु. 78.50 लाख	20.08.2024 को	
पार्क- कक, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) में इंडिया एक्सपो मार्ट (मेसर्स इंडिया		10 बजे पूर्वा. से	
एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा) के नाम से जानी जाने वाली व्यावसायिक बिल्डिंग में पहली मंजिल पर स्थित, सुपर एरिया 43.63 वर्ग मीटर और कारपेट एरिया 24 वर्ग मीटर है।	रु. 1.00 लाख	11 बजे पूर्वा.	तक

नेयम और शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड द्वारा अपना ईएमडी विवरण औ स्तावेज प्रस्तुत करेंगे (युजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम दर्ज करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।) ईएमड ाम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरजीएस के माध्यम सेः खाता : 00053564604005, आईएफएससी कोड – क्टउइ0000005 में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तारीर हो अपराह्न 5:00 बजे तक या उससे पहले देय होगा। कृपया ध्यान दें कि ईएमडी राशि के रूप में चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. हालांकि, बैंक किसी बकाया वैधानिव देय राशि ऋणभार/कर बकाया, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, संपत्ति(यों) के स्वामित्व और स्वयं का निरीक्षण करने औ स्वयं को संतुष्ट करने के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई तिथि एवं समय के अनुसार ही सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकत ै। 3. इच्छुक बोलीकर्ता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आवि सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर 01244302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार गे. नंबर +91 −7080804466, ईमेल आईडी: support@bankeauctions.com से संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कार्य दिवसं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे) के दौरान कार्यालय समय में उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोद-ु अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव∕बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है नका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित भुगतान में किसी भी चूक के मामले में, बिक्री स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी औ ोलीदाता द्वारा की गई परी जमा राशि और धरोहर राशि बिना किसी नोटिस के जब्द कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। चककर्ता बोलीदाता के पास वैंक/प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध कोई आश्रय/दावा नहीं होगा। 6. विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com औ vww.bankeauctions.com देखें

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना र्जदार/जमानती/बंधककर्ता को सुचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तारीख से पहले उपरोक्त वर्णित राशि के साथ-साथ अद्यतन ब्याज और अनुषं व्यय का भुगतान करें, ऐसा न होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल किय स्थान : ग्रेटर नोएडा अधिकृत प्राधिकारी, इंडसइंड बैंक लिमिटेड तिथि : 27.07.2024

	कार्यालय वसूली अधिकारी	कोर्ट नोटिस (By Ch, Bank):	16.07.2024
प्रथम तल,		स्पॉट नोटिस (By Bank):	25.07.2024
3922	सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर 302015	सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु (By Nodal Officer):	20.08.2024
16/07/24	(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)	नीलामी तिथि (By Auctioner):	27.08.2024
	<u>फार्म संख्या 13</u>	रिपोर्ट	02.09.2024

आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

आगामी तिथिः 02.09.2024 आर.सी. संख्या 96/2021 ^{प्रकरण का उनवानः} स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मैसर्स राजा ट्रेडिंग कम्पनी एवं अन्य

विक्रय की उद्घोषणा

यहकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकाण, जयपुः के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 96/2021 जो कि मूल आवेदन संख्या 719/2019 में दिनांव 9.02.2021 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध राशि रूपये 1,27,75,092.10/- की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद ब्यय एव बचों सहित वसल किये जाने योग्य है।

था यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूची में वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। था यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 10.01.2019 से 10.12.2021 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों सहित कुल राशि रूपये 14941377.16 एवं भविष्य व

. भर्मा, मो. ७829439390 द्वारा दिनांक प्रात 11 बजे से सायं 3 बजे तक किया जावेगा। दोपहर 03 बजे बाद 05 मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं बढ़ाता है तो स्वीका हर ली जाऐगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढ़ाई जाती है तो पुनः नीलामी समय 05 मिनट बढ़ा दिया जायेगा।

। विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित कि ाये है, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

म्पत्ति का विक्रय "जहाँ है जैसी स्थिति में है" के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किर्स क भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त ाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तष्टि के लिए या ाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

क्रिय हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय व म्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है. के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्ज

क्रिय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनसूची में वर्णित शतों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शतों के अध्ययीन होगा: विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तो तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शती के अध्ययीन झोगा:(1) संलान सूची में दिये गये विवरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता आगल श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्न अद्योह न्या हो किया जावेगा (3) सम्पत्ति को बोलो तरहं उत्तरहं उत्तरायो नहीं होगा। (2) सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य गिश्र र 28.01 लाख होगा। जिससे कम मूल्य में संपत्ति का विक्रय नहीं किया जावेगा। (3) सम्पत्ति को बोली राशि
ह. 20,000/- के गुणांक में बढ़ाई जाएगी। (4) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत घरोहर राशि जमा करानी होगी जो कि वसूली अधिकार एव यदि वे किसी अन्व इत्युत के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जिये जमा करवायी जा सकेगी। इच्छुक बोलीदाता को बोली से पूर्व प्रमाणित प्रति पेनकाई, गते का प्रमाण तथा प्रधिकार एव यदि वे किसी अन्व इत्युत्त अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं नीलामीकर्ता अधिवक्ता के पास प्रस्तुत करने होंगी। किसी भी लाटे के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर रव्य इत्युत्त अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं नीलामीकर्ता अधिवक्ता के साम प्रत्ति करने होंगी। किसी भी लाटे के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर रव्य इत्युत्त के बात के स्वाप्त के स्वाप्त के स्थान विक्रय को स्थान करने होंगी। उत्युत्त के सम्पत्ति के स्थान स्वाप्त कर प्रधान करने का अधिकार प्राप्त करना अनुष्ति हो। (6) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षकर्ता को आवकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के प्राथयानों के अधीन विक्रय को स्थानि करने का अधिकार प्राप्त होगी। (7) चल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति को कादा वीला प्रवेश राशि लामी की जाएगी। (8) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का केता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात कय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर रागि ो समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता अधिवक्ता को जमा करवायी जावेगी। नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी जिसमें नीलामी का दि मेल नहीं होगा। यदि 15 वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिकम कि ाने पर सम्पत्ति विकय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विकय के खर्च समायोजि हत्ने के पश्चात जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में केता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जावेंगे। (१) सफल बोलीदाता को प्रथम करन कर परवात जरक (तका कर ला) वाजना (व उदा स्थात म कता क कर सभाग वा पार क किसा मा माग क विषय न आवका जरहा हो आयो (१) सकर बारातिया का अपने का 1000/- रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके प्रध्यात (१) सकर बारातिया का अपने का विश्व के स्वाध कर कर कर के स्वाध कर के संबंधित विराध कर के संबंधित विराध कर के संबंधित व्याध कर सूर्य कर के स्वाध कर के संबंधित व्याध कर सूर्य कर के स्वाध कर सूर्य कर के संबंधित व्याध कर सूर्य कर के स्वाध कर दिया जावेगा। (12) नीलाम के ब्रास कर वा जावेगा कर सूर्य कर के स्वाध कर सूर्य कर के स्वाध कर दिया जावेगा। (12) नीलाम के का स्वाध कर सूर्य कालने का अधिकार वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकारी के पास सुरक्षित है।

	सम्पत्ति का वि	वरण		
प्लॉट	अन्य सहमालिका का नाम सहित बेची	सम्पत्ति या उसके	किसी भी प्रकार	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के
की	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी			संबंध में आगे आय है एवं अन्य कोई ज्ञात
संख्या		जिसका मूल्यांकन	जिसके लिए सम्पत्ति	विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	जो किसी अन्य व्यक्ति से सह– मालिक है	किया गया है	उत्तरदायी है	प्रकृति प्रभाव रखता है।
1	2	3	4	5
1	Commercial Shop Cum Godown situated at Mahaveer	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं
	Dhan Mandi, Itawa, Kota, Rajasthan measuring 1800			
	Sqft.			
(

सील) मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 16.07.2024 को जारी।

वसली अधिकारी • ॥ ऋण वसली अधिकरण, जयपर

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. -IndiaShelter

पंजी. कार्यालयः 6वीं मंजिल, प्लॉट नं.—15, सेक्टर—44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा—122002 **शाखा कार्यालय**ः फ्लोर, 10—डी, पंजा कॉम्प्लैक्स, मल्टीपरपस स्कूल के सामने, गुमनपुरा, कोटा—324007 राजस्थान

काम्बनस, मत्टापरपस स्कूल के सामन, गुमनपुरा, कोटी—324007 राजस्थान कित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिकृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिकृति कित्र प्रवंतन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्निलिखत ऋणी जिन्होंने हें डिया शेल्टर फाइनेस कॉमीरशन वित. (आईएसएफसीएल) से ऋण प्राप्त किया था, आईएसएफसीएल को अपने ऋण की इिवेडिट मासिक कियत (ईएसआई) को भुगतान करने में असफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जाशी दिशा—निर्देशों के अनुसार नीन—परफार्मिंग एससेट्स के रूप में वर्गाकृत किया जा चुका है। ऋणी(यों) ने आईएसएफसीएल को अचल संपत्तियों की प्रतिभृति दी गई थी, जिसका विवरण यहां नीचे विया गया है। ऋणी(यों) के साथ—साथ सर्वसाधारण को एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि आईएसएफसीएल के अधोहरताक्षी गौजूदा प्रधिकृत अधिकारी, प्रतिभृति ऋणदाता ने वित्तीय साथ स्वित्तियाल के प्रतिभृतिकरण पर्व पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हत प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अति स्वत्र का स्वादी शुरू की है। अदि स्वत्र के अधिनेयम के का तथा प्रतिभृति कर अपने कि स्वत्र की स्वत्र के अधिनयम के कि स्वत्र के स्वत्र के अधिनयम के कि स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र अपने नोमों के विरुद्ध की है। यदि निम्निलिखत ऋणी(यों) सूचना के 60(साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के विरुद्ध निर्वेशित ककाया दोयों का भूगतान करने में असकत्र अपने नामों के विरुद्ध के तहन प्रतिमृत्तिकरण पर प्रवृत्त के का स्वत्र के स्वत्र अपने नामों के विरुद्ध के तहन प्रतिमृत्ति का भूगतान के कार ने के सल्वाह दी के तहन प्रतिमृत्ति का अपने के सल्वाह दी के के तहन प्रतिमृत्ति का अपने कार करने की सल्वाह दी हे तहत प्रतिभतित ऋणदाना पर प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का पालन करेगा । सर्वसाधारण को यहां नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ डील न करने की सलाह दे

ाती है।			
Eणी(यों) / गारंटर / कानूनी वारिस /	एनपीए तिथि /	मांग सूचना तिथि	प्रतिभूतित परिसंपत्ति(यों) का विवरण
गनूनी प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता सं.	मांग सूचना	वं राशि	ैं (अचल संपत्तियाँ)
मती सावित्री बाई व श्री / श्रीमती राम चंद्र	28 दिसंबर 2021		सर्वे नं. 441 बाबू न्गर ख़ुनदी जिला
णखाता : HL1900002009&	व्	हजार तीन सौ बावन केवल) 02 जुलाई, 2024	कोटा राजस्थाने में संपृत्ति के सभी भाग
P200004015/AP-0304364 &AP-0319862	02 जुलाई 2024	तक देय 03 जुलाई 2024 से ब्याज और भुगतान	व पासल सामा : पूव : राड, पाश्चम :
		की तिथि तक अन्य शुल्क व लागत सहित	मकान मांगी लालें, उत्तर : मकान देवी जिंह, दक्षिण : मकान जाकिर

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. (प्राधिकृत अधिकारी) दिनांकः 27.07.2024

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. IndiaShelter

शाखा कार्यालय:– दुकान नं.–15, भूतल, प्लॉट नं. 18बी, अस्टोरिया बुलीवर्ड, राज नगर, डिस्ट्रिक सेन्टर, सी ब्लॉक, गाजियाबाद, **शाखा कार्यालय:–** बीपी–49, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईटी फरीदाबाद–121001

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 की बारा 13(2) के तहत सुबना। एतद्दारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित जिन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपीरेशन लि. (आईएसएफसीएल) से ऋण लिए हैं. आईएसएफसीएल को अपने ऋण की बराबर मासिक किस्तों (ईएमआई) का मुगतान करने में असफ रहे हैं और कि ऋण खाता नेशनल हाऊसिंग बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति वर्गीकृत किया गया है। कर्जदार(ओं) ने आईएसएफसीएल को अचल संपत्तियों व प्रतिभृति प्रदान की है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आज की तारीख तक ऋण और कर्जदार/ओं द्वारा आईएसएफसीएल को बकाया एवं देय राशि भी नीचे दी गई है। कर्जदार(अं और सर्व साधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आईएसएफसीएल, प्रत्यामृत ऋणदाता के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनार्निर्मा और प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखत कर्जवार(ओ) के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है और इस अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है जिसव विवरण नीचे दिया है। यदि निम्नलिखित कर्जवार उनके नाम के साथ निर्विष्ट राशि का नोटिस के 60 (साठ) दिनों के अंदर चुकता करने में असफल रहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी संपत्तिर का कब्जा लेने और उनकी बिक्री करने सहित सरफासी अधिनियम की घारा 13 की उप-भारा(ब) के तहत प्रत्यानूत ऋणदाता को प्रदल्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेग सर्व साधारण को नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ कोई लेन-देन नहीं करने की सलाह दी जाती है।

कर्जदार(ओं) / जमानती / विधिक उत्तराधिकारी / विधिक प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता संख्या	एनपीए की तारीख/ मांग सूचना	राशि	प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं) (अचल संपत्तियों) का विवरण
श्रीमती मंजू और श्री/श्रीमती स्व. श्री बीरबल यादन के विधिक उत्तराधिकारी ऋण खाता सं. HLGZCHLONS000005058343/ AP-10132930	05 जून, 2024 और 29 जून, 2024	v. 204894/— (रुपये दो लाख चार हजार आठ सौ चौरानवे मात्र) दि. 29.06.2024 को देय और 30.06.2024 से भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य प्रभार व लागत।	गाँव रोजा जलालपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009, नोएडा स्थित आवासीय प्लॉट खसरा नं. 627 में, एरिया 70 वर्ग गज के सभी भाग व खंड। सीमाएँ:- पूर्व- रोड 16 फुट चौड़ा, पश्चिम- मनी राम का खंत, उत्तर-कुवरपाल का प्लॉट, दक्षिण- मुकेश का प्लॉट
श्री/श्रीमती विभा मिश्रा माता विमल कुमार मिश्रा और श्री/श्रीमती विमल कुमार मिश्रा/ ऋण खाता सं. LA11CLLONS000005027721/ AP-10046483	10 जून, 2024 और 02 जुलाई, 2024	मांग नोटिस राशि रु. 1277128/- (रुपये बारह लाख सतहत्तर हजार एक सौ अठाईस मात्र) दि. 02.07.2024 को देय और 03.07.2024 से भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य प्रमार व लागत।	मकान नं. 1000, सेक्टर 18 ईडब्ल्यूएस श्रेणी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा— 121002 के सभी भाग व खंड। सीमाएँ- पूर्व— 12 गली, पश्चिम— अन्य संपत्ति, उत्तर- अन्य संपत्ति, दक्षिण— ब्रजेश का मकान
स्थानः गाजियाबाद/फरीदाबाद, दिनांकः :	27.07.2024	(प्राधिकृत अधिकारी) इं	डेया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा)ः 22.07.2024 फार्म संख्या 13 नोटिस मौके पर (कमिश्नर अधिवक्ता द्वारा): 30.07.2024 (आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के ਜਿਸੀਆਸ ਨੀ ਰਿਆਿ: 23 08 2024 नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत) अमानत राशि जमा एवं रजिस्टेशन की अंतिम तिथि: 29.08.2024 आर.सी.संख्याः 505/21 ई-ऑक्शन: 02.09.2024

आगामी निथि- ०५ ०० २०२४ आई.डी.बी.आई.बैंक बनाम मै. ए.वन.ग्रुप

विक्रय की उद्घोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी

प्रथम तल, सुधरमा-॥, किसान भवन के सामने लाल कोठी सब्जी मण्डी के पास, टोंक रोड, जयपुर 302015 (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के हारा एक वसूली प्रमाण पत्र सख्या 505/2021 जो कि मूल आवेदन सख्या 453/2020 देनांक 29.11.2021 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध राशि रुपये **61,20,790.88** रुपये की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वार यय एवं खर्चो सहित वसल किये जाने योग्य है।

तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूची में वर्णित बंधक सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 20.05.2023 तक ब्याज, वाद ब्यय व खर्चों संहित कुल राशि 81,96,144.75 रूपये एवं मविष्य का खर्चों व ब्याज बकाया होते हैं। एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपरिधति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय दिनांक 29.08.2024 को CI India Pvt. Ltd. जर्यालय 3rd Floor, Plot No. 68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. Bhavik Pandya 8866682937, mobile no +91 7291891124/25/26 and Vinod Kumar 8866682931 वेबसाईट www.bankeauctions.com पर 11 AM से 3 PM तक किया जावेगा दोपहर 03 बजे बाद 05 मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं बढाता है तो स्वीकार कर ली जाऐगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढाई जाती है तो पुन ोलामी समय 05 मिनट बढा दिया जायेगा ।

विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, का किया जायेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चि किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट हैं। सम्पत्ति का विक्रय 'जहाँ है जैसी रिथति में हैं'' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा। यदि संपत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि संतुष्ट हो जाती है तो शेष संपत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्म करने

ने पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्मादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी संतुष्टी के लये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चो सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जायेगा। . विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विकर ь कारन ब्यु अन्तराबारण का रुप्त जन्मा जाबबूत प्राताचा क जारव बाला लगाग हतु आमात्रता कथा जाता है। किसी मा आधकारा या अन्य व्यक्ति जी इसे विक्रः के सम्बन्ध में प्रथक्ष एवं अप्रयक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथव अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।

अर्जन के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।
2. विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्ययीन होगा:— 3. सलंग सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उद्योगणा में किसी त्रृटि, असत्य अथवा चक्र के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा। 4. सम्पत्ति का आरब्धित मूल्य राशि रूपये 50.65 लाख होगा जिससे कम मेंल्य में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी। 5. सम्पत्ति को बोली राशि रु. 25000 / के गुणांक में बढ़ाई जाएंगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीवाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लोल तुरू हो होगा। ने लिए रख दिया जायेगा। 6. बोलीवाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत संशिर राशि जमा करानी होगी जो कि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी। इच्छुक बोलीवाता को बोली से पूर्व प्रमाणित प्रति पेनकाई, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र यदि वे किसी अन्य वयक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में माग ले रहे हैं निलामीकर्ता अधिवत्ता के पास प्रस्तुत करने होगे। 7. किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गई बोली आरक्षित मूल्य से कम् नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकार्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपयोप्त हो जिस् प्राप्त करना अनुचित हो। 8. लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रवधानों के अधीन विक्रय को स्थागित करने क अधिकार प्राप्त होगा। 9. खत्त सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले आफ के द्वारा पुरस्त बार सम्पत्ति को अधिकार प्राप्त होगा। 9. खत्त सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किये जाने वाले आफ के उपा के आपता होगा। अन्यथा उनके द्वारा जामा कराई गई राशि को जाब किया जाकर पुतः नीलामी की जाएगी। 10. अधल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेत घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् क्रय मृत्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए नीलामीकर्ता अधिवक्ता को जम करवायी जावेगी। 11. नीलामी की तिथि से 15वे दिवस तक शेष 75 प्रतिशत्त राशि जमा करनी होगी जिसमें नीलामी का दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15 वा दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो जसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के मीतर भुगतान नही किये जाने पर सम्पत्ति कैं ीलामी नवीन उदघोषणा पत्र जारी करके कर दिया जायेगा। ऐसी रिथति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्व नमायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेगें 12. सफल बोलीदाता को प्रथम 1000 / – रूपये पर 02 प्रतिशत एवं उसके पश्चात शेष राशि पर 01 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का भगतान करना होगा। 13 निलाम की जाने वाली सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 23.08.2024 को 11 बजे से सीय 3 बजे तक किया जा सकेगा । आवश्यक होने पर प्रमाण पत्रधारी बैंक के सम्बन्धि प्रबृचक श्री नरेन्द्र जलुथुरिया मोबाइल नं 9833313625 के द्वारा करवाया जा सकेगा । **14.** असफल बोलीदाताओं को धरोहर राशि का भुगतान उसी दिन नीलामीकर अधिवक्ता द्वारा नीलामी के तुरन्त बाद कर दिया जावेगा। 1**5**. नीलाम की जाने वाली सम्पति, भूखण्ड एवं उसपर हुए निर्माण इत्यादि या अन्य परिसम्पतियां जहां हैं नैसी है^{*} की स्थिति में बेजी जाएगी। 1**6.** नीलामी / विक्रय सम्पुष्टी वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के क्षेत्राधिकार में होगी जिससे वे किसी भी कारण से अथवा बिना किसी कारण के रद्द किया जा सकेगा। 17. नीलामी के किसी भी खण्ड को शामिल करने अथवा निकालने का अधिकार वसली अधिकारी ऋण वसली

।।धव	त्ररा के पास सुराक्षत है। सम्पत्ति का 1	विवरण		
गॉट क्री ख्या	वासा सन्वास का विवस्त वहा सन्वान्वस व्यावसामन	सम्पत्तिया उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है।	के भार का विवरण	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Plot at Khasra No. 695 and 697, Village- Ponkh, Gram Panchayat Ponkh, Tehsil Udaipurvati, Distt. Jhunjhunu, Rajasthan 333053	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं



AMBER ENTERPRISES INDIA LIMITED

सील भेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 19.07.2024 को जारी।

Registered Office: C-1, Phase – II, Focal Point, Rajpura Town – 140 401, Punjab Corporate Office: Universal Trade Tower, 1st Floor, Sector – 49, Sohna Road, Gurgaon – 122 018, Haryana E-mail: info@ambergroupindia.com; Website: www.ambergroupindia.com Tel: +91 124 3923000; Fax: +91 124 3923016, 17, CIN: L28910PB1990PLC010265

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June, 2024

4029

19/07/24

करण का उनवान

(Rs. in lakh except for per share data)

वसली अधिकारी-।, ऋण वसली अधिकरण, जयप

(31 March 20 (Audited) (Audited) (4,50,467)	3 months ended (30 June 2023) (Unaudited)	3 months ended (31 March 2024)	3 months ended (30 June 2024)	Particulars	SI.	V			
19,766.89 4,50,467	(Unaudited)	(Lineudited)		B-ut'-ut-u-		Year ended (31 March 2024)	3 months ended (30 June 2023)	3 months ended (31 March 2024)	3 months ended (30 June 2024)
		(Unaudited)	(Unaudited) (Unaud			(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
3.037.97 5.579	1,19,766.89	2,04,353.74	1,73,988.55	Total Income from Operations	1.	6,72,926.89	1,70,198.67	2,80,546.17	2,40,129.11
0,00	3,037.97	9,134.11	6,178.41	Net Profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	2.	19,133.18	6,268.83	13,782.60	10,448.53
3,037.97 5,579	3,037.97	9,134.11	6,178.41	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.	19,133.18	6,268.83	13,782.60	10,448.53
2,258.45 4,055	2,258.45	6,594.41	4,430.57	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4.	13,946.69	4,660.86	9,902.61	7,472.02
2,233.17 3,884	2,233.17	6,533.53	4,409.53	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.	13,756.84	4,667.71	9,857.44	7,447.32
3,369.37 3,369	3,369.37	3,369.37	3,369.37	Equity Share Capital (Face Value Rs.10 Each)	6.	3,369.37	3,369.37	3,369.37	3,369.37
- 1,68,027	-	-	-	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	7.	2,03,066.39	-	-	-
				Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) –	8.				
6.70 12	6.70	19.57	13.15	Basic earnings per share (in rupees)		39.44	13.55	28.10	21.48
6.70 12	6.70	19.51	13.10	Diluted earnings per share (in rupees)		39.41	13.55	28.01	21.40
		6,594.41 6,533.53 3,369.37	4,430.57 4,409.53 3,369.37	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital (Face Value Rs.10 Each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) — Basic earnings per share (in rupees)	4. 5. 6. 7.	13,946.69 13,756.84 3,369.37 2,03,066.39	4,660.86 4,667.71 3,369.37	9,902.61 9,857.44 3,369.37	7,472.02 7,447.32 3,369.37

Notes to above extract:

- a) The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30 June, 2024 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Regulations. 2015 (as amended time to time). The full format of the unaudited financial results for the quarter ended 30 June, 2024 is available on the Company's website (www.ambergroupindia.com) and on the website of the stock exchanges where the Company's equity shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)
- b) Figures of the previous periods have been regrouped/ rearranged/ reclassified, wherever necessary to comply with financial reporting requirements.

For Amber Enterprises India Limited

Jashir Singh

Place: Gurugram Date: 26 July 2024

(Executive Chairman & CEO and Whole Time Director)